


344



विलोपित

विनोद
R 2004-16

1. आशुतोष चतुर्वेदी
2. अखिलेश चतुर्वेदी
3. नारायण दास चतुर्वेदी
4. ओमप्रकाश चतुर्वेदी
5. कार्तिकेय चतुर्वेदी
6. श्रीमती गीता चतुर्वेदी पत्नी शिवरामदास चतुर्वेदी, सभी निवासी ग्राम-गड़ेहरा, तहसील-जवा, जिला-रीवा (म०प्र०)

पिसरान स्व. शिवरामदास चतुर्वेदी.

आवेदक / निगरानीकर्तागण

बनाम्

मुन्नीलाल पिता हरप्रसाद मिश्रा, निवासी ग्राम-कोनी गड़ेहरा, तहसील-जवा, जिला-रीवा (म०प्र०)।

अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्योंथर जिला-रीवा दिनांक 30.11.2016 जो प्रकरण क्र. 205अ-6अ/अपील/2015-16 में पारित किया जाकर अपीलान्ट को अपील में पक्षकार मान्य किया गया.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता.

904

मुकेश भागवत को
रा आज दि. 30-12-2016 को
स्तुत

राजस्व मण्डल मंत्र खातियार

मुकेश भागवत
30-12-16 एडवोकेट
दवालिपर

मान्यवर, [Signature]

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

1. यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय के विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक

R-4404/1161/2018

31/12/18 / गुणजी लाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26/12/18	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>शु. लाल शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी - <u>श. ए. शर्मा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>205/3-631/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>30-11-16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला - <u>श. ए.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को कलेक्टर जिला - <u>श. ए.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p align="right"><u>सदस्य</u></p>